



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2()परावि./प्रशा.1/वि.अ./संस्था/चार्ज/2011/ 432

जयपुर,दिनांक:- 23.2.17

:- आदेश :-

श्री इन्द्रजीत सिंह, I.A.S. (प्रशिक्षु) को एक माह के लिये फील्ड प्रशिक्षण हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभरलेक जिला जयपुर के पद पर लगाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान विकास अधिकारी के समस्त पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

श्री सिंह की उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान श्रीमती अनुपमा सक्सैना, RRDS, हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभरलेक जिला परिषद जयपुर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश पासशर)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संभागीय आयुक्त जयपुर।
2. जिला कलेक्टर जयपुर।
3. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभरलेक जिला जयपुर।
5. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
6. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)